acquired on a monthly rent of Rs. 600/- and Rs. 8005/- respectively.

(e) and (f) The Holiday Homes have been set up primarily for the benefit of Railway servants and their family members purely as a measure of Staff Welfare. However, requests for allotment of accommodation in these Homes from the employees of other Central Govt. Ministries/Departments and the Lok Sabha/ Rajya Sabha Secretariat are considered after meeting the requirement of the Railway servants, on the same charges as payable by Railway servants. For short periods accommodation in Holiday Homes can also be allotted to outsiders on payment of Rs. 500/- per day per suite but such allotment will not be made after cancelling the booking of Railway servants.

(g) Yes, Sir.

Statement

Railway-wise location of Holiday Homes as on 31-3-90

Railway	Location
Central	Mahabaleshwar, Matheran, Lonawala, Igatpuri, Pandharpur and Panchmarhi.
Eastern	Puri, Baidyanath Dham, Darjeeling and Nainital.
Northern	Srinagar, Pahalgam, Shimla, Hardwar, Baijnath-Paprola, Barog, Manali and Mussoorie.
North Eastern	Nainital, Ranikhet, Varanasi and Allahabad.
Northeast Frontier	Kurseong, Darjeeling and Shillong.
Southern	Mysore, Coonoor, Courtallam, Kaniyakumari, Rameswaram and Palani.
South Central	Colva Beach (Goa) and Tirupathi.
South Eastern	Puri, Ranchi and Darjeeling.
Western	Bandra (Bombay), Mount Abu, Paschim Vihar (Udaipur), Verawal and Golvad.
C.L.W.	Puri.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का विकास

1158. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1959 के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में 1,16,000 एकड़ भूमि को अधिगृहीत किए जाने की घोषणा की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसमें से अभी तक केवल 57,000 एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अधिगृहीत भूमि का विकास करने के बाद उसे आवासीय, व्यापारिक, औद्योगिक व अन्य आवश्यक उपयोग के लिए आवंटित किया; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी भूमि को आवंटित किया गया है और शेष भूमि को आवंटित न किए जाने के क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) दिल्ली प्रशासन द्वारा भूमि अधिगृहीत की जाती है तथा आवश्यकतानुसार दिल्ली के सुनियोजित विकासार्थ दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दी जाती है।

दिल्ली प्रशासन के अनुसार सरकारी विभागों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण की आयोजना तथा आयोजना भिन्न-दोनों ही, योजनाओं के लिए कुल मिलाकर लगभग 1.13 लाख एकड़ भूमि के संबंध में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। इसमें से 57,000 एकड़ से अधिक भूमि वास्तविक रूप में अधिगृहीत की गई थी तथा दिल्ली के सुनियोजित विकासार्थ दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दी थी। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि वास्तव में अधिग्रहण की गई भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि से कम है। इसके कारणों में भूमि अधिग्रहण समाहर्ता द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध भू-स्वामियों के अभ्यावेदन स्वीकार करना, अधिसूचित क्षेत्रों का निर्मित स्वरूप, न्यायालय आदेश आदि शामिल है।

दिल्ली के सुनियोजित विकासार्थ दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपी गई भूमि का उपयोग एक सतत् प्रक्रिया है। विभिन्न प्रयोजनार्थ अब तक आवंटित भूमि निम्न प्रकार है :–

	एकड़ में (लगभग)
1. रिहायशी योजनायें	18,417
2. औद्योगिक योजनायें	2,555
3. विकासार्थ	37
4. उद्यान विभाग	7,291
5. मलिन बस्ती तथा झुग्गी-झोंपडी रिहायशी योजनायें . . .	5,766
6. वाणिज्यिक संस्थान, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, निजी अभिकरण .	9,629
7. सहकारी समितियां	4,805
8. शेष	8,578

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पंजाब में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुयें सप्लाई न किया जाना

1159. श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मई, 1990 के फ़ाइनेंशियल एक्सप्रेस में "सेंटर एपाथी बिहाइन्ड पी०डी०एल० फ़ैलियर इन पंजाब" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पंजाब में राशनकार्ड धारियों को उनकी आवश्यकतानुसार आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं न दिए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से केवल मिट्टी का तेल और चीनी उपलब्ध कराई जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो अन्य राज्यों में सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं की संख्या व मात्रा की तुलना में पंजाब में सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं की संख्या व मात्रा में अन्तर क्या कारण हैं ?